न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, हनुमानगढ़

तारीख हुक्म	प्र.सं. 18/2022 अनवान मनीराम आदि बनाम स्टेट व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

18.08.2022

पत्रावली पेशी में ली गई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी सं. 04 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी सं. 02 को दिलाई गई। वकील अप्रार्थी सं. 02 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र व हस्तगत प्रकरण में क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर बहस हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 के वकील को दिलाई गई। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 04 द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26.08.2022 को पेश हो।

26.08.2022

वकुलाए फरीकेन उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण मनीराम वगैरह द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रश्नगत प्रकरण प्रस्तावित भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 754-K में अवाप्तशुदा भूमि तहसील व जिला हनुमानगढ़ के चक 16 एस. एस.डब्ल्यू. पटवार हल्का कोहला में अप्रार्थी सं. 3 तुलसीराम व अप्रार्थी सं. 4 नंदराम पुत्र चेलाराम के नाम से संयुक्त खाता सं. 14/15, इन्तकाल सं. 430 के पत्थर नं. 130/294(45) किला नं. 18, 19, 20, 21, 22, 23 में भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कागजात है। अप्रार्थीगण सं. 03 व 04 ने अपने नाम की उक्त कृषि भूमि को आवासीय भूमि में संपरिवर्तित करवाकर आवास हेतु बालाजी बिहार द्वितीय फेज कॉलोनी का नाम देकर आवासीय भूखण्ड काटकर विक्रय किये गये। प्रार्थी सं. 01 ने अप्रार्थी सं. 04 का हिस्सा में से किला नं. 19 में प्लॉट नं. 18 साईज 22.6 गुणा 45 फुट यानि 1017 वर्गफुट खाली सफेद जगह को जरिये बैयनामा दिनांक 01.10.2013 को क्रय किया गया। प्रार्थी सं. 02 ने अप्रार्थी सं. 04 का हिस्सा में से किला नं. 19 में प्लॉट नं. 10 साईज 25 गुणा 45 फुट यानि 1125 वर्गफुट खाली सफेद जगह को जरिये बैयनामा दिनांक 23.07.2012 को क्रय किया गया। इसी तरह अप्रार्थी सं. 03 का हिस्सा में से किला नं. 20 में प्लॉट नं. 15 कॉर्नर साईज 25 गुणा 40 फुट यानि 1000 वर्गफुट खाली सफेद जगह को जरिये बैयनामा दिनांक 24.01.2013 को संदीप पुत्र श्री राधेश्याम निवासी हनुमानगढ़ टाउन को विक्रय किया गया। उक्त भूखण्ड प्रार्थी सं. 03 ने संदीप से दिनांक 04.10.2013 को जरिये बैयनामा क्रय किया था। उक्त सभी भूखण्ड क्रय करने की दिनांक से प्रार्थीगण के कब्जे में है। उक्त अवाप्तशुदा आवासीय भूखण्डो/प्लॉटों का अवॉर्ड प्रार्थीगण के नाम से बनवाया जाकर उक्त संपरिवर्तित आवासीय भूमि का मुआवजा अप्रार्थी सं. 01(भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़) से प्रार्थीगण को दिलवाये जाने के सम्बन्ध में। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब व दौराने बहस कथनानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H(3) के प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा हकदार व्यक्तियों को भुगतान किया जावेगा। यदि उक्त रकम वितरण में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में अधिनियम की धारा 3H(4) के तहत प्रधान सिविल न्यायालय को उक्त विवाद के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है– "यदि उक्त रकम या किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम का या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है, विनिश्चिय के लिए निर्देशित करेगा।'' इसलिए अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के वितरण का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को है एवं मुआवजा राशि वितरण में विवाद होने की दशा में सुनवाई का अधिकार केवल प्रधान सिविल न्यायालय को ही है।

उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर है जिसमें इस न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम(मुआवजा राशि) किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं है तो उक्त रकम/मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण के सम्बन्ध में किसी पक्षकार के आवेदन पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु अवॉर्ड राशि या मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण का न होकर एक से ज्यादा पक्षकारों में अवॉर्ड राशि वितरण से सम्बन्धित है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H(3) के प्रावधानों के अनुसार भूमि की मुआवजा राशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा हकदार व्यक्तियों को भुगतान किये जाने का प्रावधान है व उक्त रकम के वितरण में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में धारा 3H(4) के तहत विवाद के विनिश्चय के लिये सक्षम प्राधिकारी मुआवजा राशि वितरण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रधान सिविल न्यायालय को प्रेषित कर सकता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि की अवॉर्ड राशि के सम्बन्ध में सभी पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र मुआवजा राशि वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर एव आर्बिट्रेटर
हनुमानगढ